न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 04/2022

प्रार्थीगण :–

1 पारी देवी पत्नि स्व0 डेडाराम
2 मदनलाल पुत्र स्व0 डेडाराम
3 शेषाराम पुत्र स्व0 डेडाराम
4 सायरी देवी पुत्री स्व0 डेडाराम जातियान
5 सीरवी नि0 बेरा सेवगो की ढीमड़ी, केलवाद,
6 तह0 सोजत, जि0 पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 चिमनाराम पुत्र आदुराम
2 दुर्गाराम पुत्र आदुराम
3 रूकमादेवी पत्नि आदुराम
4 रामाराम पुत्र आदुराम
5 शोभाराम पुत्र आदुराम, जातियान सीरवी, नि0 बेरा सेवगो की ढीमड़ी, केलवाद, तह0 सोजत जि0 पाली।
6 तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 17/08/22

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा केलवाद, प0ह0 केलवाद, तह0 सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0न0 232, 234, 235, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.8700 है0 किस्म बा0दो0, चाप्र0, बंजड़, जा0अ0, गै0मु0रास्ता, गै0मु0बेरा, गै0मु0सड़ा स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के वादस्थ आराजीय कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति डेडाराम पुत्र पुखाराम का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के पिता/पति आदुराम पुत्र जेठाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था। इस प्रकार प्रार्थीगण का वादस्थ आराजी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता/पति डेडाराम पुत्र पुखाराम एवं आदुराम पुत्र जेठाराम ने अपने जीवनकाल में वादस्थ कृषि भूमि का अपने –अपने 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार के अनुसार आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा 30 वर्ष पूर्व कर अलग अलग काबिज हो गए थे तथा अलग अलग काश्त करते थे। पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडा के अनुसार प्रार्थीगण के पिता/पति डेडाराम के बंट व हिस्से में खसरा संख्या 60 रकबा 2.40 है0 खसरा नंबर 65 रकबा 0.3400 है0 खसरा नंबर 234 रकबा 234.00 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.2800 है0 एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता/पति के बंट व हिस्से में कृषि भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 2.1400 है, ख0न0 60 रकबा 2.6500 है मे से 0.2500 है0, खसरा नंबर 64 रकबा 0.2800 है0, खसरा नंबर 65 रकबा 0.4200 है0 मे से रकबा 0.0800 है0 ख0न0 232 रकबा 0.8500 है0, खसरा नंबर 234 रकबा रकबा 2.77 मे से 0.2300 है0, खसरा नंबर 235 रकबा 1.4500 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 है0 कृषि भूमि अलग

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

अलग कर उपरोक्त वर्णितानुसार अलग अलग काबिज चले आ रहे थे तथा वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उसी अनुसार ही काश्त चले आ रहे है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही पटवारी हल्का के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव भी तैयार करवाया गया था। खसरा नंबर 61 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 63 रकबा 0.0900 है0 सामलाती रखा गया था। उपरोक्त वर्णित बंटवाड़ा के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आज भी अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त पूर्व में हुए बंटवाडा का नजरी नक्शा परिशिष्ट क प्रा0 पत्र के साथ पेश है। जिन्हे प्रा पत्र का भाग बनाया गया है। अब अप्रार्थीगण की नियति में फर्क आ गया है तथा उक्त वर्षो पूर्व हुए बंटवाड़ा को इन्कार कर प्रार्थीगण के बंट व हिस्से पर नाजायज तरीके से निर्माण कार्य करने पर आमदा हो गए। खसरा नंबर 63 की भूमि के साथ ही खसरा नंबर 65 में भी प्रार्थीगण के बंट व हिस्से पर निर्माण कार्य करने के आशय से पत्थर आदि डाल दिये तथा प्रार्थीगण को उक्त खसरा नंबर 65 से बेदखल कर उस पर नाजायज तरीके से निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। वादस्थ आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया हुआ नही होने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की वादस्थ भूमि पर काश्त करने में भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा अप्रार्थीगण से करवाने हेतु निवेदन करने के बावजूद भी बंटवाडा करवाने से इंकार कर देने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायासंगत हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के हक हिस्से सहित कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तानान्तरण, बक्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देते है, तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नही आका जा सकता है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी संख्या 6 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सा0मि0 है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी, व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी नाजायज तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व अनाधिकृत निर्माण इत्यादि करने पर आमदा है तथा उकत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। जिसे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी.
सोजत (राज.)

किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्राथी संख्या 06 ने कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल वाद विभाजन का है। पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभय पक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेंगा। वर्तमान परिपेक्ष में यदि वादस्थ भूमि बिना विधिक विभाजन खुर्द बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा केलवाद, प0ह0 केलवाद, तह0 सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0न0 232, 234, 235, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.8700 है0 किस्म बा0दो0, चाप्र0, बंजड़, जा0अ0, गै0मु0रास्ता, गै0मु0बेरा, गै0मु0सड़ा की कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति (**Status Quo**) बनाये रखने तथा किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नही करने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/08/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)